

10/11/18

यह एक राज्य सरकार पत्रिके
तहसीलदार प्रवारागञ्ज की
ओर से अन्तर्गत धारा 88
R.T. Act के तहत पेश किया
वाह-दण्ड शिफारस लेकर दिनांक
10/11/18 को पेश हो गया

10/11/18

पत्रिका पेश हुई परीक्षा प्रमाण
उपरिष्ठ पत्रिका हल्का की फई
मोकाम निफई दिनांक 10/11/18 प्राप्त
हुई जो शामिल फाइल रहे
परिष्कार सरकार न प्रस्तुत
घाट में अंकित किया कि
तहसील प्रवारागञ्ज में वृत्तगत
संशोधन का कार्य चल रहा है
संशोधन के दौरान गांव धाड़पुरा
तहसील प्रवारागञ्ज की हाल प्रवारी
सर्वत 2017-18 के खाते की जांच
की गई तो पाया कि खाता 105/1/1
के अन्तर्गत फिवा 23 के जातेदारी
का दिनांक 1/1 गरी है कि दिनांक
दुरत किफ फात कि दिनांक किया
परिष्कार सरकार के वाइ फा
प्रवारी में उपलब्ध ताके फा
का अंकित किया पत्रिका हल्का
की फई मोकाम निफई दिनांक 10/11/18
पर मगन किया राज्य सरकार
की योजना DILKAP व R.T. Act
की धारा 88 के तहत पत्रिका
हल्का की फई मोकाम निफई दिनांक
10/11/18 के अन्तर्गत जातेदारी के
द्वारे दुरत फात के फाई
तहसील प्रवारागञ्ज के दिफ फात
है तहसीलदार प्रवारागञ्ज तागुल

परिष्कार अधिकारी
प्रवारागञ्ज जयपुर

फर्द अहकाम

सरकार बनाम पुमाती देवी को

नाम न्यायालय

केस संख्या 56/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		<p>राजस रिपोर्ट में कुलकर्णी गिरीश व फर्द मोक्या रिपोर्ट दिनांक 19/11/19 की प्रति, तद्विषयक प्रत्यक्षगण को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाये।</p> <p>पत्रावली फौजदारी शुमार होकर नुम्बर 80 फा 80 बाद प्रति दर्जिले उपरल्ले।</p> <p>गिरीश शुजापा बापा। @m</p>	

उपरल्ले अधिकारी
पुनवाराभगड (जयपुर)

